

राजस्थान सरकार  
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग  
शासन सचिवालय जयपुर

क्रमांक : भण्डार प. 5 (5) सोशल मीडिया/2017-18/  
M/s Mercury Communication Design Pvt. Ltd.  
203, Park Saroj, R-7 Yudhishtir marg,  
C-Scheme, Jaipur 302005  
Email : reenu@mercurydigital.in

जयपुर, दिनांक :-

विषय :- सोशल मीडिया मैनेजमेन्ट कार्यादेश तुरन्त प्रभाव से निरस्त करने बाबत।

सन्दर्भ :- इस विभाग का आदेश क्रमांक प.5(5) सोशल मीडिया/2017-18/22679-82 दिनांक 10.11.2017

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आदेश द्वारा राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु विभागीय सोशल मीडिया आउटसोर्स करने हेतु आमन्त्रित NIB No. 16681 दिनांक 22.08.2017 में प्राप्त निविदाओं में आपके द्वारा प्रस्तुत दरें राशि रूपये 2,30,000/-प्रति माह (जीएसटी अतिरिक्त) न्यूनतम पाये जाने पर दर स्वीकृति उपरान्त आगामी 1 वर्ष हेतु कार्यादेश (अवधि 01.12.2017 से 30.11.2018 तक) दिया गया था।

राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2018 के कारण निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू की गयी है। आदर्श आचार संहिता की अनुपालना में विभाग द्वारा प्रचार-प्रसार का कार्य सीमित हो गया है। अतः इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश क्रमांक भण्डार प.5(5) सोशल मीडिया/2017-18/22679-82 दिनांक 10.11.2017 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि आप विभाग के आधिकारिक फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इन्स्टाग्राम, पिन्टरेस्ट, गूगल प्लस एवं बन्जारा ब्लॉग के क्रेडेन्शियल (Username Password) एक सीलबन्द लिफाफे में अविलम्ब रूप से विभाग को सुपुर्द करें।

1198  
6-10-2018

आयुक्त  
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग  
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, सूजस।
2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाइट [www.dipr.rajasthan.gov.in](http://www.dipr.rajasthan.gov.in), e-Procurement Portal एवं SPPP PORTAL पर अपलोड करें।
3. कोषाधिकारी कोष कार्यालय सचिवालय जयपुर।
4. प्रभारी अधिकारी सोशल मीडिया शाखा।
5. 4. लेखा शाखा भुगतान दो प्रतियों में।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)